पत्र सं०–5/पी०(नई यो०)–26/2022– 08(5)यो स्वा०

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 12-05-2026

विषयः **केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से गिरिडीह जिला के जिला मुख्यालय में स्वीकृत 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु राज्य योजना मद से कुल 13,06,70,425/–(तेरह करोड़ छः लाख सत्तर हजार चार सौ पचीस) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–63(5)ब०यो०, दिनांक–27.06.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं०–82(5)यो० दिनांक–30.03.2026 तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक–626 (नि०) दिनांक–10.03.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से गिरिडीह जिला के जिला मुख्यालय में स्वीकृत 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु राज्य योजना मद से अधोलिखित तालिका के अनुसार कुल 13,06,70,425/–(तेरह करोड़ छः लाख सत्तर हजार चार सौ पचीस) रुपए मात्र आवंटित की जाती है:–

| क्र | योजना का नाम | स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि | मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | व्यय की स्वीकृति के पश्चात् योजना की कुल लागत राशि | योजना में NHM निधि से देय राशि | राज्य योजना मद से देय राशि | राज्य योजना मद से अबतक आवंटित राशि | राज्य योजना मद से वर्तमान आवंटन | राज्य योजना मद से कुल आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल | 63(5)ब०यो०, 27.06.2023 एवं 82(5)यो० 30.03.2026 | 54,21,54,650 | 64,71,03,025 | 23,75,00,000 | 40,96,03,025 | 27,89,32,600 | 13,06,70,425 | 40,96,03,025 |

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों एवं शुद्धि पत्रों की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी। स्वीकृत्यादेशों एवं शुद्धि पत्रों में अंकित सभी शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. योजना हेतु व्यय का विकलन बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45 निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110–48–01–05–45) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| (आनन्द कुमार सिन्हा) | (ललित मोहन शुक्ला) | (अजय कुमार सिंह) |
| अवर सचिव | संयुक्त सचिव | अपर मुख्य सचिव |

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। सिविल सर्जन, राँची राशि का पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियॉं में करेंगे।

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि०, दिनांक–17.04.98 एवं 1800(वि०), दिनांक–15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

7. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

8. राशि की निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. कार्यो की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से चयनित Third Party Quality Control एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रुप से प्राप्त किया जाएगा। राशि का भुगतान Quality Control जाँच कराए जाने के बाद ही किया जाएगा। योजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाएगा।

12. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्त्व होगा।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

| | | |
|---|---|---|
| (आनन्द कुमार सिन्हा) 08(5)25 | (ललित मोहन शुक्ला) | (अजय कुमार सिंह) |
| अवर सचिव 12-05-2026 | संयुक्त सचिव | अपर मुख्य सचिव |

14. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः 08(5)स्वा  राँची, दिनांकः 12-05-2026

प्रतिलिपिः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. उपायुक्त, गिरिडीह।
5. सिविल सर्जन, गिरिडीह।
6. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

08(5)स्वा
12-05-2026

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5/P-NS-26/2022/08(5)B

दिनांक - 12-May-2026

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 20 42100111048010545<br>4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय<br>01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं<br>110 - अस्पताल तथा औषधालय<br>48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण<br>01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित<br>05 - निर्माण<br>State Scheme | 19496 | RNCMED013<br>PRABHAT KUMAR<br>C.S.CUM<br>C.M.O.RANCHI<br>45 - निर्माण कार्य | 130,670,425.00<br>रुपये तेरह करोड छः लाख सत्तर हजार चार सौ पच्चीस |

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT LEVEL(1691)

Centeral Scheme : NA

| | | |
|---|---|---|
| योग: | रुपये तेरह करोड छः लाख सत्तर हजार चार सौ पच्चीस | 130,670,425.00 |
| क्रमिक योग: | | |

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY



10.92.23.5

Run Date: 12/5/2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

| Sl No | TREASURY | DDO CODE | DDO NAME | DDO DESG | 20S42100111048010545 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | निर्माण कार्य | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ranchi | RNCMED013 | Prabhat Kumar | C.S.Cum C.M.O.Ranchi | ₹13,06,70,425.00 (19496) | ₹13,06,70,425.00 |
| | | | | | | |

**कुल आवंटित राशि :- ₹13,06,70,425.00 (** तेरह करोड छः लाख सत्तर हजार चार सौ पच्चीस **) रूपये मात्र |**

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए**

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY